न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 43/2025 G.C.M.S. No. 2025/265 दर्ज दिनांक : 26.03.2025

अपीलार्थिगण:

1. चंपालाल पुत्र गणेश
2. ढगलाराम पुत्र गणेश
3. तिजाई पत्नि गणेश
4. धर्मीचंद पुत्र गणेश
5. नेनाराम पुत्र मुलाराम, तमाम जातिगण माली, निवासीगण रायपुर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मीठुडी देवी पत्नि कालूराम
2. गौतमचंद्र पुत्र कालूराम
3. किशन पुत्र कालूराम
4. बद्रीलाल पुत्र कालूराम
5. रमेश पुत्र कालूराम
6. सुगनचंद्र पुत्र कालूराम
7. दुर्गादेवी पुत्री कालूराम
8. बाबूलाल पुत्र गणेश, उम्र वयस्क, जातिगण माली, निवासीगण रायपुर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रायपुर, जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2025 बअनवान मीठुडीदेवी वगैरह बनाम चंपालाल वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.03.2025

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्र दवे, श्री महावीर प्रसाद मेवाड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

एवं

राजस्व अपील संख्या : 64/2025 G.C.M.S. No. 2025/279 दर्ज दिनांक : 04.06.2025

अपीलार्थी:

1. दुर्गादेवी पत्नि संपतलाल पुत्री कालूराम उम्र वयस्क, जाति माली, निवासी बेरा थड़ावाला कपूड़ी रोड़ रायपुर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मीठुडी देवी पत्नि कालूराम, उम्र वयस्क
2. गौतमचंद पुत्र कालूराम, उम्र वयस्क

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. किशन पुत्र कालूराम, उम्र वयस्क
4. बद्रीलाल पुत्र कालूराम, उम्र वयस्क
5. रमेश पुत्र कालूराम, उम्र वयस्क
6. सुगनचंद पुत्र कालूराम, उम्र वयस्क
7. चंपालाल पुत्र गणेश, उम्र वयस्क
8. ढगलाराम पुत्र गणेश, उम्र वयस्क
9. तीजाई पत्नि गणेश, उम्र वयस्क
10. धर्मीचंद पुत्र गणेश, उम्र वयस्क
11. नेनाराम पुत्र मूलाराम, उम्र वयस्क
12. बाबूलाल पुत्र गणेश, उम्र वयस्क, जातिगण माली, निवासीगण रायपुर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।
13. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रायपुर, जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2025 बअनवान मीठुडीदेवी वगैरह बनाम चंपालाल वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.03.2025 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 व 12 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री प्रवीण व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्र दवे, श्री महावीर प्रसाद मेवाड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांकः 25.09.2025

अपीलान्ट्स की ओर से जरिये अधिवक्ता ये दोनों अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2025 बअनवान मीठुडीदेवी वगैरह बनाम चंपालाल वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.03.2025 के विरूद्ध पेश की गई। दोनों अपील एक ही निर्णय व डिक्री से संबंधित होने से दोनों में निर्णय में समरूपता हों, अतः दोनों अपील एक साथ संयोजित की जाकर एक साथ निर्णित की जा रही हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 7 से 13 के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम रायपुर द्वितीय पटवार हल्का रायपुर द्वितीय भू.अ.नि. क्षेत्र रायपुर तहसील रायपुर की जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 152 खसरा संख्या 1699 रकबा 1.5378 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 1700 रकबा 0.2833 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 1702 रकबा 0.6151 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 1705 रकबा 0.6475 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1706 रकबा 4.4192 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 1717 रकबा 4.8319 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 1718/1 रकबा 0.5666 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम कुल खसरान 7 कुल रकबा 12.9014 हैक्टेयर कृषि भूमि के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाड़ा व खातेदारी हक घोषणा का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई हैं। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड डाक से जो सम्मन अपीलार्थीया को भेजा गया हैं वह सम्मन कभी भी अपीलार्थीया को प्राप्त नहीं हुआ है, न ही अपीलार्थीया ने किसी प्रकार की प्राप्ति स्वीकृति या अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर किये हैं, न ही कोई प्राप्ति स्वीकृति या अभिस्वीकृति अधीनस्थ न्यायालय को बाद तामील प्राप्त हुयी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्ति का कोई अभिस्वीकृति पत्र या नोटिस पत्रावली में उपलब्ध नहीं था। अपीलार्थीया अपने ससूराल में अपने पति के साथ में निवास करती हैं। अपीलार्थीया का ससुराल व पीहर दोनों रायपुर में ही हैं। अपीलार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया वह पीहर के पते पर जारी किया, जबकि अपीलार्थीया अपने पति के साथ ससुराल में बेरा थड़ावाला कपूड़ी रोड रायपुर तहसील रायपुर जिला ब्यावर के पत्ते पर निवास करती हैं। उक्त पते पर अपीलार्थीया को नोटिस जारी नहीं किया गया। इससे प्रकट है की अपीलार्थीया को जो नोटिस जारी किया वह गलत पते का जारी किया। इसके अतिरिक्त रेस्पोंडेंट्स संख्या 7 से 11 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र के कथनों का खण्डन किया था। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट्स संख्या 7 से 11 का जवाबदावा था तथा वादपत्र का खण्डन था तो विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को वाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर निर्णय व डिक्री पारित करने थें। इसके अतिरिक्त वादी/रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 से 6 ने अपने वादपत्र में वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी होना एवं पूर्वजों के समय से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक बंटवाड़ा हो रखा हैं एवं मौखिक बंटवाड़े अनुसार मौके पर काबिज है। उस अनुसार बंटवाड़ा करने के अभिवचन अपने वादपत्र में दर्ज किये, इसके खण्डन में रेस्पोंडेंट्स संख्या 7 से 11/प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बाबत् अनुतोष चाहा एवं अपने जवाबदावे में मौखिक बंटवाड़ा के अभिवचनों का खण्डन किया। पत्रावली पर वादपत्र के अभिवचनों का जवाबदावे के अभिवचनों से खण्डन किया हुआ था। उक्त खण्डन के आधार पर विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर निर्णय किया जाना था। क्योंकि तनकीयात व साक्ष्य से ही स्थिति स्पष्ट हो सकती थीं कि मौखिक बंटवाड़ा हो रखा है या नहीं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम किए बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की हैं। जोकि सर्वथा निरस्तनीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6 द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांट्स के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2025 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील संख्या 43/2025 दिनांक 20.03.2025 अंदर म्याद एवं अपील संख्या 64/2025 दिनांक 03.06.2025 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई। अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 एवं 12 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं। अपीलांट्स की विधिवत तामील करवाए बिना एकपक्षीय कार्यवाही कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जिसकी जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय में अंदर म्याद आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके जवाब व बहस के लिए पत्रावली दिनांक 22.04.2025 को नियत थीं। उक्त दिनांक को बहस सुनकर आवेदन खारिज करने के साथ ही अंतिम निर्णय व डिक्री भी पारित कर दी गई। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वादपत्र में किसी भी पक्ष की साक्ष्य लिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जो आज्ञापक विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से विधिविरूद्ध है। लिहाजा, ऐसे प्रकरण में विलंब सारवान रूप से महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। साथ ही प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट्स की गैर मौजूदगी में पीठ पीछे पारित की गई हैं। प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है एवं प्रकरण में अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता से विलंब कारित नहीं होकर विलंब

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

सद्भाविक व युक्तियुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादपत्र दिनांक 27.01.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु आगामी तारीख पेशी 10.02.2025 को नियत की गई। पंजीकृत डाक से सम्मन जारी होना अंकित किया है। जिसके लिए 30 दिन का समय अपेक्षित होता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महज 10 दिवस बाद आगामी तारीख पेशी नियत कर दी गई। जो विधिविरूद्ध है। दिनांक 10.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किए जाने तथा प्रतिवादी संख्या 4, 7 व 8 बावजूद तामील अनुपस्थित का अंकन किया गया तथा पत्रावली 17.02.2025 को नियत की गई। दिनांक 17.02.2025 की आदेशिका अनुसार पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 20.02.2025 को नियत की गई। आदेशिका दिनांक 20.02.2025 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 व 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा पत्रावली जवाबदावे हेतु दिनांक 03.03.2025 को नियत की गई। आदेशिका दिनांक 03.03.2025 के अंकन अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 व 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया एवं किसी भी पक्षकार व अधिवक्ता द्वारा राजीनामा या सहमति आदि पेश नहीं करने के बावजूद एवं यहां तक कि आदेशिका पर किसी भी पक्षकार/अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2025 को ही अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित करते हुए एवं किसी भी पक्ष की साक्ष्य लिए बिना दिनांक 03.03.2025 को ही प्रकरण में बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई। जबकि प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

4. वादपत्रों के निर्णयन के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत होने पर एवं यदि उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा निष्पादित नहीं किया जाता है तो विवाद्यक कायम किए जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का यथोचित अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्षकारान की समुचित सुनवाई उपरांत विवाद्यकवार निर्णयन करते हुए प्रकरण अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री किया जाना चाहिए। लेकिन हस्तगत प्रकरण में इसका सर्वथा अभाव पाया गया तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों का समुचित अनुपालन किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जो दूषित होने से समर्थन योग्य नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील संख्या 43/2025 बअनवान चंपालाल वगैरह बनाम मिठुडीदेवी वगैरह एवं अपील संख्या 64/2025 बअनवान दुर्गादेवी बनाम मिठुडीदेवी वगैरह अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2025 बअनवान मिठुडीदेवी वगैरह बनाम चंपालाल वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.03.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए प्रतिवादी संख्या 4 को जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 27.10.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से दो कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **25.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner